फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

गोकुल बनाम सरकार

संख्या 79/23 (2023/211)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06/06/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप.। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करके एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता की पूर्ण बहस पर मनन पश्चात् प्रार्थना पत्र LR Act 128 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06/06/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :– 79/2023 जी.सी.एम.एस. संख्या :– 2023/211

1. गोकुल पुत्र भुवाना
2. रामकिशन पुत्र भुवाना
   जाति बागरिया निवासी कानेटी तहसील तूंगा जिला जयपुर।

—:प्रार्थीगण:—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
2. कैलाश पुत्र रामकिशन
3. कैलाश पुत्र रामकिशन
4. धापा देवी पत्नी रामकिशन
5. नरेश पुत्र रामकिशन
6. पूरण पुत्र रामकिशन
7. पूरण पुत्र रामकिशन
8. बन्टी पुत्र रामकिशन
9. बिन्दू पुत्र रामकिशन
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम कानेटी तहसील तूंगा जिला जयपुर।
10. जगन्नाथ पुत्र नानगा जाति बागरिया निवासी कानेटी तहसील तूंगा जिला जयपुर।
11. मिश्री लाल पुत्र जिन्सी
12. नाथू पुत्र जैस्या
    समस्त जाति मीना निवासी ग्राम कानेटी तहसील तूंगा जिला जयपुर।
13. छोट्या पुत्र काना
14. नहन्या पुत्र काना
15. नाथू पुत्र गोविन्दा
16. श्रीनारायण पुत्र गोविन्दा
17. कल्याण सहाय पुत्र भागीरथ
18. जयनारायण पुत्र भागीरथ
19. मीठालाल पुत्र भागीरथ
20. रामकिशोर पुत्र भागीरथ
21. बाबूलाल पुत्र श्रवण
22. रामकिशन पुत्र कन्हैयालाल
23. रामखिलाडी पुत्र कन्हैयालाल
24. लोकेश पुत्र फैलीराम
25. हरफूल पुत्र श्रवण
26. हरिनारायण पुत्र श्रवण
27. पांच्या पुत्र बालू
    समस्त जाति मीना निवासी ग्राम कानेटी तहसील तूंगा जिला जयपुर।

—:अप्रार्थीगण:—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–श्री कानाराम बैरवा, एड0–प्रार्थीगण।
श्री कुलदीप किशोर शर्मा, एड0– अप्रार्थी संख्या 17

—:निर्णय:— दिनांक 06/06/2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि वर्तमान खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 307/5 रकबा 1.2645 है0 व खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 307/10 रकबा 1.3024 है0 वाके ग्राम कानेटी पटवार हल्का भटेरी तहसील तूंगा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार तूंगा के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 05.07.2023 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 307/5 रकबा 1.2645 है0 व खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 307/10 रकबा 1.3024 है0 वाके ग्राम कानेटी पटवार हल्का भटेरी तहसील तूंगा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार तूंगा

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

...जयपुर की दिनांक 05.07.2023 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये ...का निवेदन किया।

...दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। अप्रार्थी ...ख्या 17 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप किशोर शर्मा वकालतन उपस्थित आये। बावजूद सम्यक तामील ...जेर अदालत नहीं आने एवं बावजूद अवसरों के अप्रार्थी संख्या 17 जवाब पेश नहीं करने पर पर अप्रार्थीगण ...ख्या 2 लगायत 27 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार तूंगा पत्रांक भू.अ. ...2025/1670 दिनांक 23.04.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशल है।

...अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ...हराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 05.07.2023 के अनुसार ...थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2076 से ...079 खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 307/5 रकबा 1.2645 है0 व खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 307/10 ...रकबा 1.3024 है0 वाके ग्राम कानेटी पटवार हल्का भटेरी तहसील तूंगा जिला जयपुर की नकल पेंश की।

...इस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी ...सम्वत् 2076 से 2079 खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 307/5 रकबा 1.2645 है0 व खाता संख्या 31 खसरा ...नम्बर 307/10 रकबा 1.3024 है0 वाके ग्राम कानेटी पटवार हल्का भटेरी तहसील तूंगा जिला जयपुर के ...अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही ...संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 05.07.2023 व तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा दिनांक 23.04.2025 पेश रिपोर्ट से भी ...यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार तूंगा के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 12. ...2024 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्म्स इस प्रकार है कि :- *Sec. 111. ...ecision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the ...and Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing ...urvey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual ...ossession.*

...2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable ...o satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been ...btained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months ...revious to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and ...hall then fix the boundary accordingly-

...ec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land ...ecords Officer in the manner laid down in section 111.

...क्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान ...कराया जा चुका है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया ...जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 307/5 रकबा 1.2645 है0 व खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 307/10 रकबा 1.3024 है0 वाके ग्राम कानेटी पटवार हल्का भटेरी तहसील तूंगा जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार तूंगा को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थीगण के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 05.07.2023 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौंके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। तहसीलदार तूंगा को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

ह निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली ज से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी जयपुर (राज.)